न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 6–दो/08 विरूद्ध आदेश दिनांक 27–11–2007 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण कमांक 185/06–07/निगरानी.

.....

डोंगर सिंह पुत्र स्व0 श्री कुन्दन सिंह
निवासी चार शहर का नाका ग्वालियर
जिला ग्वालियर

.....आवेदक

विरूद्ध

म0 प्र0 शासन .....अनावेदक

.....

श्री जगदीश श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक
श्री बी0 एन0 त्यागी, अभिभाषक, अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 01/07/2015 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश 27–11–2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि नायब तहसीलदार, ग्वालियर के समक्ष आवेदक सहित अन्य दो द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम दिनारपुर स्थित भूमि सर्वे कमांक 35 रकबा 26 बीघा 12 बिस्वा, सर्वे कमांक 49 रकबा 21 बीघा 18 बिस्वा एवं सर्वे कमांक 76 रकबा 9 बीघा 9 बिस्वा पर स्टेट के समय से उनका कब्जा था । बंदोबस्त के समय भी उनका कब्जा था एवं उक्त भूमियों का संवत 2007 में

पट्टा नम्बर 4 मिन 248/54/58 आदेश दिनांक 21—11—1950 से उन्हें सर्वे क्रमांक 35, 49 एवं 76 का पट्टा मिला था, जिसका अमल संवत 2018 एवं 2019 तक रहा । बाद में 2 बीघा का अमल रहा तथा 19 बीघा 18 बिस्वा का पटवारी द्वारा अमल काट दिया गया । आवेदक समय—समय पर लगान जमा करता रहा है। एक वर्ष पूर्व जब उन्होनें खसरे की नकल ली तब उन्हें ज्ञात हुआ कि उनका नाम केवल 2 बीघा पर ही है, जब कि पूर्व में 21 बीघा 18 बिस्वा पर था । अतः पट्टा दिनांक 21—11—1950 के अनुसार सर्वे क्रमांक 49 पर 2 बीघा के स्थान पर 21 बीघा 18 बिस्वा संशोधित किया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 13/अ—6—अ/93—94 दर्ज किया जाकर दिनांक 30—3—1995 को आदेश पारित कर प्रविष्टि शुद्ध किये जाने के आदेश दिये गये । साथ ही पटवारी को अमल करने के भी निर्देश दिये गये । तत्पश्चात मुख्यमंत्री को मनोहर सिंह, चार शहर का नाका द्वारा इस आशय की शिकायत की गई कि प्रश्नाधीन भूमि शासकीय भूमि है और आवेदक द्वारा मिल जुलकर वर्ष 1995—96 में अपना नाम [illegible] लिया गया है, अतः उक्त भूमियां शासकीय स्वत्व पर दर्ज की जाये । तहसील[illegible] जांच उपरान्त प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी को प्रस्तुत किया गया और अनुवि[illegible]कारी द्वारा प्रतिवेदन अपर कलेक्टर को भेजा गया । अनुविभागीय अधिकारी के [illegible] आधार पर अपर कलेक्टर द्वारा तहसीलदार का प्रकरण क्रमांक 13/अ—6—[illegible]देश दिनांक 30—3—1995 को स्वप्रेरणा से निगरानी में लिया जाकर दिना[illegible] को आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश दिनांक 30—3—1995 नि[illegible] एवं अपर तहसीलदार को आदेशित किया गया कि प्रकरण में 30—3—19[illegible]ावत रखते हुये वर्तमान में अभिलिखित भूमिस्वामियों के नाम विलोपित [illegible]शासकीय दर्ज करायें । साथ ही तत्कालीन नायब तहसीलदार एवं संबंधित [illegible] विरूद्ध अवैधानिक रूप से शासकीय भूमि पर आवेदक सहित अन्य [illegible] किये जाने के कारण उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही सक्ष[illegible] किया जाना प्रस्तावित की गई । अपर कलेक्टर के आदेश से व्यथित [illegible] निगरानी अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई और अपर आयुक्त द्व[illegible] 2007 को आदेश पारित कर निगरानी

निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ प्रकरण दिनांक 4–6–2015 को अनावेदक शासन के अभिभाषक के तर्क सुने जाकर इस निर्देश के साथ आदेशार्थ सुरक्षित किया गया था कि आवेदक के अभिभाषक 15 दिवस में लिखित तर्क प्रस्तुत करेंगे, परन्तु नियत अवधि में उनके द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये । अतः प्रकरण का निराकरण निगरानी मेमों में उल्लिखित आधारों एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के आधार पर किया जा रहा है ।

4/ निगरानी मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :–

(1) तहसीलदार द्वारा पारित किया गया आदेश वर्ष 1995 का था और स्वमेव निगरानी में 2007 में 12 वर्ष से भी अधिक समय पश्चात् लिया गया है । इस संबंध में आवेदक के अभिभाषक द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय तथा इस न्यायालय द्वारा पारित किये गये आदेशों की प्रति अपने तर्क के साथ प्रस्तुत की गई थी, परन्तु अपर आयुक्त द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत न्याय दृष्टातों एवं तर्को पर बिना विचार किये आदेश पारित करने में अवैधानिकता की गई है ।

(2) अपर कलेक्टर एवं अपर आयुक्त द्वारा अपर तहसीलदार, ग्वालियर के प्रकरण कमांक 18/54/140 का हवाला अपने आदेश में दिया है, परन्तु इस प्रकरण का कोई भी दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

(3) अपर कलेक्टर एवं अपर आयुक्त द्वारा यह निष्कर्ष निकालते हुये कि संहिता की धारा 116 के अंतर्गत गलत इंन्द्राज को एक वर्ष के अंदर दुरूस्त किये जाने का प्रावधान है, जबकि तहसीलदार द्वारा वर्ष 1951–52 में की गई त्रुटि को वर्ष 93–94 में दुरूस्त किया है, इसलिये कार्यवाही संदिग्ध है, तहसीलदार का आदेश निरस्त किया गया है । इस संबंध में आवेदक के अभिभाषक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया था कि बिना किसी सक्षम पदाधिकारी के आदेश के रिकार्ड में की गई तब्दीली को किसी भी समय चुनौती दी जा सकती है और उसके लिये एक वर्ष का बंधन नहीं है, परन्तु आवेदक के इस तर्क पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विचार नहीं किया गया ।

(4) अपर कलेक्टर द्वारा आवेदक को सुनवाई एवं साक्ष्य का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया है ।

5/ अनावेदक शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक ने शासकीय भूमि पर अपना नाम अवैधानिक रूप से तहसीलदार से दर्ज करा लिया था, अतः अपर कलेक्टर द्वारा तहसीलदार के प्रकरण कमांक 13/अ–6–अ/93–94 आदेश दिनांक 30–3–1995 को स्वप्रेरणा से निगरानी में लेकर निरस्त करने में पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही की गई है और अपर कलेक्टर के आदेश को स्थिर रखने में अपर आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

6/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 13/93–94/अ–6–अ दर्ज कर दिनांक 30–3–1995 को आदेश पारित किया गया । मद अ–6–अ में संहिता की धारा 115 एवं 116 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है । इस प्रकार तहसीलदार द्वारा संहिता की धारा 115 एवं 116 के तहत वर्ष 1960 के पूर्व हुई प्रविष्टि को संशोधित किया गया है । इस संबंध में अपर कलेक्टर द्वारा निकाला गया निष्कर्ष अपने स्थान पर पूर्णतः विधिसंगत है कि संहिता की धारा 115 एवं 116 के अन्तर्गत वर्ष 1960 के पूर्व हुई प्रविष्टि को संशोधित नहीं किया जा सकता है । इसके अतिरिक्त अपर कलेक्टर द्वारा निकाला गया यह निष्कर्ष भी वैधानिक एवं उचित है कि पूर्व में तहसीलदार द्वारा संहिता की धारा 140 के अन्तर्गत प्रकरण कमांक 18/54/140 दर्ज कर आदेश पारित करते हुये प्रश्नाधीन भूमि से आवेदक को बेदखल करने के आदेश दिये जा चुके थे और अपर तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपील भी निरस्त हो गई थी, अतः अपर तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई कार्यवाही करने का अधिकार नायब तहसीलदार को नहीं था क्योंकि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का कोई स्वत्व निहित नहीं रह गया था । स्पष्टतः नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश क्षेत्राधिकार रहित आदेश है जिसे स्वप्रेरणा से निगरानी में लेकर निरस्त करने में अपर कलेक्टर द्वारा किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की

गई है और अपर कलेक्टर के आदेश को स्थिर रखने में अपर आयुक्त द्वारा पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही की गई है । आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाया गया यह आधार मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–3–1995 को अपर कलेक्टर द्वारा 12 वर्ष पश्चात् स्वप्रेरणा से निगरानी में लेने में अवधि बाह्य कार्यवाही की गई है क्योंकि क्षेत्राधिकार रहित आदेश में समय सीमा लागू नहीं होती है और वैसे भी पूर्णतः अवैधानिक एवं क्षेत्राधिकार रहित आदेश को समय सीमा जैसे तकनीकी बिन्दु के आधार पर स्थिर नहीं रखा जा सकता है । उनका यह तर्क भी उचित नहीं है कि अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण कमांक 18/54/140 का हवाला देते हुये आदेश पारित किया गया है जबकि उक्त प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत ही नहीं हुआ है क्योंकि आवेदक का यह दायित्व था कि वह इस तथ्य को प्रमाणित करते कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में उक्त प्रकरण कभी प्रचलित हुआ ही नहीं है और न ही उसमें आवेदक के विरूद्ध कोई आदेश पारित हुआ है । इसके अतिरिक्त आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय, अपर कलेक्टर, अपर आयुक्त एवं इस न्यायालय में प्रश्नाधीन भूमि पर उसका स्वत्व होने संबंधी तथ्य को प्रमाणित नहीं किया गया है । इस प्रकार तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष विधिसंगत है जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । दर्शित परिस्थितियों में अपर आयुक्त का आदेश विधिसंगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–11–2007 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर